यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड जलसंस्थान रानीखेत अल्मोडा** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी ऋटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तरखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, **अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड जलसंस्थान रानीखेत अल्मोडा** के माह 04/2014 से 03/2016 तक के लेखा अभिलोखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री शरत श्रीवास्तव एवं श्री रविशंकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 17.12.2016 से 28.12.2016 तक श्री हनुमान सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री विनीत निगम, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अरिनंदम चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 13/02/2015 से 26/02/2015 तक श्री रणवीर सिंह चौहान वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2011 से 03/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2014 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- रानीखेत जनपद में 6 खण्डों (ताडीखेत, द्वाराहाट, चौखुटिया, मासी, स्याल्दे और भिकियासैड) में जल सम्भरण में सुधार किये जाने का कार्य किया जाता है।

3. (इकाई द्वारा संचालित योजनाओं सहित क्रयाकलाप तथा भौगोलिक अधिकार क्षेत्र बताया जाय)

4. अल्मोडा जनपद में छः खण्डों (ताडीखेत, द्वारहाट, चौखुटिया, मासी, स्याल्दे और भिकियासैड) में जल सम्भरण में सुधार किये जाने का कार्य किया जाता है। जल संस्थान में एन0आर0डी0डब्लू0पी0 (केन्द्रपुरोनिर्धारित योजना), राज्य योजना, जिला योजना, दैवीय आपदा एवं डिपॉजिट वर्क के अन्तर्गत पेयजल से सम्बन्धित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य	बचत
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय ₹		
2013-14	0.77	702.31	415.72	389.46	540.50	849.36	-	420.48
2014-15	27.03	393.45	409.88	469.37	832.54	844.56	-	348.96
2015-16	-32.46	381.42	616.02	619.87	569.15	617.61	-	296.65

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः-

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष ₹	प्राप्त ₹	व्यय अधिक्य (+) ₹	बचत (-) ₹
2013-14	एन.आ.डी.डब्लू.पी.	0.00	7.69	7.69	0.00
2014-15	एन.आ.डी.डब्लू.पी.	0.00	0.00	0.00	0.00
2015-16	एन.आ.डी.डब्लू.पी.	0.00	13.60	11.062	2.538

(यदि लेखापरीक्षा अवधि तीन वर्ष से अधिक हो तो सम्पूर्ण अवधि का बजट आवंटन एवं व्यय विवरण अंकित किया जाय)

(iii) इकाई को बजट आवंटन (स्रोत बताया जाय) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई केन्द्र, राज्य और जिला योजना की राशि शासन से आबंटित होती है, जो इकाईयों को कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड देहरादून के माध्यम से अवमुक्त की जाती है। तथा इकाई ए श्रेणी (जिस श्रेणी के अन्तर्गत इकाई आती है, उसे इंगित किया जाय) की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव 2. मुख्य प्रबन्धक 3. महाप्रबन्धक 4. अधिशासी अभियंता।

(संगठनात्मक ढांचा सचिव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रदर्शित किया जाय)।

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड जलसंस्थान रानीखेत, अल्मोडा** एवं लेखापरीक्षा विधि लेनदेन की लेखापरीक्षा

(अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुकाल जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अंकित किया जाय) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड जलसंस्थान रानीखेत, अल्मोडा** (जिस इकाई की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी हो उसे अंकित किया जाय) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 01/2015 एवं 03/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। (जिस योजना का चयन किया गया उसका नाम अंकित किया जाय) का विस्तृत विश्लेषण किया गया। कार्य का चयन उनमें प्राप्त निधित एवं उस कार्य में किये गये क्रियाकलाप के आधार पर किया गया।

1. रानीझील में मिली ट्यूबबैल 2. पोंदीना पानी आर्मी सप्लाई डिपो में मिली ट्यूबबैल निर्माण कार्य 3. कालू गधेरा होम फार्म में मिनी ट्यूबबैल का निर्माण 4. भररौजखान भिकियासैन चौखुटिया मोटर मार्ग 5. ग्राम गुमटी पेयजल व शौचालय योजना 6. विधानसभा द्वारहाट के अन्तर्गत 8 हैण्ड पम्प।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्त) अधिनियमस, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट, 1971) की धारा 18 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो (ब)

प्रस्तर-1 : रु 99.285 लाख व्यय किए जाने के बाद भी जलापूर्ति संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति न होना।

रानीखेत शहर में पूर्व में स्थापित पेयजल योजना (देवीढुंगा-रानीखेत पंपिंग पेयजल योजना) में पेयजल आपूर्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से शहर के तीन अलग-अलग स्थानों में तीन मिनी ट्यूबवेल के निर्माण की स्वीकृति उत्तराखंड शासन द्वारा मार्च 2015 में प्रदान की गयी थी। मिनी ट्यूबवेल के निर्माण कार्य के अंतर्गत पंप सेट स्थापित करना, बोर करना, पाइप खरीद, पाइप की बिछान, पंप हाउस एवं चाहर दीवारी का निर्माण एवं विद्युत आपूर्ति आदि कार्य किए जाने थे। निर्माण कार्य पूर्ण किए जाने के पश्चात मिनी ट्यूबवेल को छावनी परिषद को हस्तांतरित किया जाना था क्योंकि जलापूर्ति की ब्यवस्था छावनी परिषद द्वारा संचालित की जाती है। स्वीकृत मिनी ट्यूबवेल एवं उनकी लागत निम्नानुसार है:

क्र॰सं॰	मिनी ट्यूबवेल निर्माण कार्य	स्वीकृत लागत
1.	पोदीना पानी आर्मी सप्लाइ डिपो में मिनी ट्यूबवेल	34.16 लाख
2.	कालू गधेरा होम फार्म में मिनी ट्यूबवेल	50.77 लाख
3.	रानीझील में मिनी ट्यूबवेल	48.53 लाख
योग		133.46 लाख

इकाई के अभिलेखों में पाया गया कि लेखापरीक्षा तिथि (नवंबर 2016) तक तीनों कार्यों हेतु स्वीकृत लागत के सापेक्ष कुल रु 118.46 लाख (क्रमशः रु 29.16 लाख, रु 45.77 लाख और रु 43.53 लाख) की धनराशि शासन द्वारा अवमुक्त की गयी थी। जिसके सापेक्ष लेखापरीक्षा तिथि तक उक्त कार्यों पर कुल रु 99.285 लाख (क्रमशः रु 24.91 लाख, रु 37.73 लाख और रु 36.65 लाख) व्यय किया गया था एवं तीनों कार्य पूर्ण प्रतिवेदित किए गए थे और शेष धनराशि इकाई के पास पड़ी हुई थी।

इस प्रकार ट्यूबवेल को छावनी परिषद को हस्तांतरित न किए जाने के कारण स्वीकृत माह से लगभग डेढ़ वर्ष का समय ब्यतीत हो जाने के बाद भी जलापूर्ति संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा सकी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त के संबंध में पुछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि शासन द्वारा पूर्ण धनराशि अवमुक्त न किए जाने के कारण ठेकेदारों का भुगतान किया जाना और विद्युत विभाग द्वारा पावर कनैक्शन दिया जाना शेष है। तदुपरान्त छावनी परिषद को उपरोक्त ट्यूबवेल को हस्तांतरण की कार्यवाही की जाएगी।

इकाई के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि उक्त कार्यों पर कुल रु 99.285 लाख व्यय किए जाने के बाद भी जलापूर्ति संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा सकी थी।

अतः उक्त प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग दो (ब)</u>

प्रस्तर-2 विभाग में ₹ 11.39 लाख की सामग्री अप्रयुक्त पडी रहना।

एनआरडीडब्लूपी एवं मैचिंग प्रोग्राम फण्ड राज्य सेक्टर के अन्तर्गत केन्द्रीय शाखा हल्द्वानी से प्राप्त सामग्रियों से सम्बन्धित अभिलेखों में पाया गया कि अधीक्षण अभियन्ता को दिसम्बर 2012 द्वारा सूचित किया गया था कि निम्नाकिंत सामग्री स्वीकृति मरम्मत कार्यो के प्रावधानों से अतिरिक्त प्राप्त हुई थी। जिसका इस शाखा में उपयोग नहीं हो पा रहा था। वह निम्नवत थी-

उत्तरांचल कुल 350 एम0एम0 4 लैटरल-04 नग, उत्तरांचल कुल 300 एम0एम0-04 लैटरल-08 नग, उत्तरांचल कुल 250 एम0एम0-04 लैटरल-14 नग, उत्तरांचल कुल 200 एम0एम0-04 लैटरल-24 नग, स्टील इन्टेक चैम्बर-14 नग, गार्ड जैकर स्क्रीन जानसन मेक-31 नग, पैकर स्क्रीन जानसन मेक-32 नग, आर0सी0सी0 प्लेटफार्म+डैन चौकी सहित-09 नग।

उक्त सामग्रीयों के निस्तारण से सम्बन्धित अभिलेखों के निरीक्षण में पाया गया कि वर्ष 2015-16 तक क्त सामग्री में से निम्न सामग्री लेखापरीक्षा तिथि (माह 12/2016) तक अप्रयुक्त पड़ी हुयी थी।

क्र.सं.	विवरण	मात्रा	दर	धनराशि
1	उत्तराचंल कुल 200 एमएम	10 नग	23592.87	2,35,928/-
2	उत्तराचंल कुल 200 एमएम	06 नग	24874.29	149245/-
3	उत्तराचंल कुल 200 एमएम	03 नग	25452.03	76356/-
4	स्टील इन्टेक चैम्बर	02 नग	26070.66	52141/-

5	गार्ड जैकर एवं पैकर स्क्रीन	25 सेट	24418.99	610474/-
6	आर0सी0सी0 प्लेटफार्म	04 सेट	3966.21	15784/-
			कुल राशि	**1139928/-**

इकाई से अप्रयुक्त सामग्री के पडे रहने का कारण पूछने पर बताया गया कि वर्ष 2010-11 में आई दैवीय आपदा से प्रभावति योजनाओं को तुरन्त चालू किये जाने हेतु केन्द्रीय भण्डार द्वारा सामग्री निर्गत की गयी थी। जिनका आवश्यक्तानुसार उपयोग भी किया गया। जिनका उपोयग नहीं हो पाया वह सामग्री शाखा में अवशेष पडी रह गयी जिस हेतु मुख्यालय को पत्राचार किया गया है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि सामग्री 2010-11 एवं 2011-12 में प्राप्त हुयी थी। जिसके प्राप्त हुये 5 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। यदि सामग्री का उपयोग नहीं हो पा रहा था तो उसमें त्वरित कार्यवाही करते हुये मुख्यालय से आदेश लेने हेतु प्रयास किये जाने चाहिये थे। जबकि इकाई द्वारा मात्र वर्ष 2012 में ही मुख्यालय से पत्राचार किया गया था।

अतः 5 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात भी रू 11.39 लाख की अप्रयुक्त सामग्री विभाग में पडे रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर-3 जल मूल्य बकायेदारो की लम्बित वसूली ₹ 37.58 लाख।

जल संस्थान पेयजल एवं सीवरेज एक्ट 1975 के पैरा 72 के अन्तर्गत तथा विभाग द्वारा निर्गत नोटिस में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया थी कि यदि देयक जारी होने के 15 दिनो के अन्दर बकायेदार द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है तो जल संस्थान सम्बन्धित उपभोक्ता का जल संयोजन विच्छेदित कर देगा। तथा बकाया धनराशि की वसूली भूराजस्व की भॉति रिकवरी सर्टिफिकेट निर्गत करके की जायेगी। तथा इस प्रक्रिया से वसूली होने पर 10 प्रतिशत कलैक्शन चार्जेज के रूप में अतिरिक्त भुगतान प्राप्त करना था।

उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के निरीक्षण में निम्नलिखित केन्द्रों में जल मूल्य जमा न किये जाने के परिणामस्वरूप निम्नवत स्थिति पायी गयी-

केन्द्र का नाम	**वसूली योग्य शेष राशि**	**5000/- से अधिक जल मूल्य वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना था**		**अवधि जब से रू 5000/- से अधिक बकाया चला आ रहा है**
		सं0	राशि	
ताडीखेत	7.75	53	7.14	2010
द्वारहाट	9.62	29	3.16	2012
चौखुटिया	1.957	4	0.42	2009
मासी	4.97	13	1.66	2008
स्याल्दे	9.03	3	0.21	2005
भिकियासैड	4.262	8	0.79	2013
कुल राशि	**37.589**	**110**	**13.380**	

इस संबंध में इकाई से पूछे जाने पर बताया कि सरकारी एवं अर्धसरकारी विभागों द्वारा देयक की राशि जमा न करना तथा कुछ उपभोक्ताओं द्वारा जमा में अरूचि दिखाये जाने के कारण अवशेष वसूली रह जाती है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि विभाग द्वारा ₹ 13.38 लाख के ऐसे उपभोक्ता जिनके ऊपर पांच हजार से अधिक की वसूली विगत 3 से पन्द्रह वर्षो से भी अधिक समय से लम्बित थी, में भी वसूली प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किये गये थे।

अतः जल मूल्य वसूली की लम्बित राशि ₹ 37.58 लाख का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तरः-1 निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष ₹ 37.98 लाख की कम वसूली होना।

नियमानुसार विभाग स्तर पर निश्चित किये गये राजस्व लभ्य (वसूली) को उसी वर्ष में प्राप्त कर लेना चाहिए, जिससे वेतन, मेटेनस मद में धनांवटन किये जाने में कठिनाई न हो।

अधिशासी अभियंता, उत्तराखण्ड जल संस्थान रानीखेत (अल्मोडा) के वर्ष 2014-15 व 2015-16 के जलकूप, मीटर किराया आदि के वसूली से सम्बन्धित अभिलेखों की लेखापपरीक्षा में पाया गया कि उक्त मदों के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष नियमानुसार वसूली पायी गयीः

(धनराशि लाख में)

वर्ष	लक्ष्य	वसूली	कम वसूली	कम वसूली का प्रतिशत
2014-15	151.88	150.07	1.81	1.19
2015-16	215.43	179.26	36.17	16.78
	367.31		**37.98**	

इस प्रकार इकाई द्वारा वर्ष 2014-15 व 2015-16 में लक्ष्य के सापेक्ष कुल ₹ 37.98 लाख की कम वसूली की।

इंगित किये जाने पर इकी द्वारा प्रति उत्तर में बताया कि वसूली हेतु विशेष प्रयास किये जाते है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वर्ष 2014-15 व 2015-16 में कुल लक्ष्य के सापेक्ष वसूली ₹ 37.98 लाख कम हुई है।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-तीन

(इस भाग में विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्न प्रारूप में अंकित किया जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो प्रस्तर संख्या	भाग-दो प्रस्तर संख्या
2010-11/60AB 2011-12/60AB	1,2,3	01 1,2,3
2014-15/185/SS	1	1,2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिसातारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
इकाई द्वारा अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उचित माध्यम से मुख्यालय की संस्तुति के उपरांत महालेखाकार को प्रेषित करने के सम्बन्ध में सूचित किया गया है।				

भाग-चार

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

भाग-पाँच

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड जलसंस्थान रानीखेत अल्मोडा** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गएः

(i) शून्य

2. सतत् अनियमितताएः

शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री कैलाश सिहं खाती	अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड जलसंस्थान रानीखेत	

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड जलसंस्थान रानीखेत अल्मोडा** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप-महालेखाकार/उप-महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.